फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

निम्बाराम बनाम आसूराम वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं 222/19 सन 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	न व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
15.07.2019	प्रार्थी की ओर से वकील श्री रिणछाराम सियाग द्वारा यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को न्यायहित में सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। प्रार्थी व विप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम अकदड़ा पटवार मण्डल अकदड़ा तहसील बायतु में आई हुई है। प्रार्थी के अनुसार विप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि में हस्तक्षेप, परिवर्तन एवं बाधा कारित करने एवं भूमि में कच्चा–पक्का निर्माण करने पर आमदा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 21.08.2019 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा अकदड़ा पटवार मण्डल अकदड़ा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 514 रकबा 30.02 बीघा की भूमि में प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं हक हिस्से की भूमि में विप्रार्थीगण किसी प्रकार का हस्तक्षेप, परिवर्तन, बाधा कारित नहीं करे, तथा न ही किसी प्रकार का कोई कच्चा पक्का निर्माण कार्य करे वर्तमान उभयपक्ष मौके की यथास्थिति बनाये रखें। इसी माफिक उभयपक्ष पाबन्द रहे। विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 21.08.2019 को पेश हों। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 16:11:01 IST
Reason: SelfAttested

सेवामें,

21/08/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल होकर तामिल मुश्तहर। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इन्तजा होकर आगामी दिनांक 22/10/19 को पेश हो। तब तक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

22/10/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 03/12/2019 को पेश हो। तब तक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

03/12/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस ट्रैक के जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनको करीब 2 माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है जिनकी ओर से कोई अधिवक्ता या अभिभावक या वे स्वयं कोई उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की प्रार्थना-पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त विवादित आराजी में विप्रार्थीगण प्रार्थी के हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि में हस्तक्षेप, परिवर्तन एवं बाधा कारित करने तथा कच्चा पक्का निर्माण करने पर आमादा है इसलिए विप्रार्थीगणों को पाबन्द किया जावे कि प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि में विप्रार्थीगण कोई किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा कोई किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण आदि नहीं करे। एवम् ताफैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन स्वीकार किया जाकर पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 15/07/19 की आदेशिका को ताफैसला वाद कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो। मूल वाद के संलग्न रहे।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek
Date: 2020.12.26 16:11:0
Reason: SelfAttested